

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमिलेख वाद संख्या- 212/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
06.03.2020	<p>वाद का प्रकार-विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनीय 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष संघिय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमावंदियों वी जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- चोट्टा थाना नं०- ३५, खाता संख्या- २१ प्लॉट संख्या- - - - - रकवा- - - - - एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनामाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की रारकारी भूमि है, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजी-॥ के जिल्द संख्या- १ के पृष्ठ संख्या- ११२ पर जमावंदी रेयत चोट्टा भट्टो के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विलम्ब कायम जमावंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमावंदी दिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोइकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्यारण के आधार पर/रादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपर्युक्त निजी लाभ एवं राज्य लोकान्तरित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से रपट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी दिवार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने देते अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अतएव संबंधित जमावंदी रेयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड रो संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद वी मांग करै तथा उनको कारण-पृच्छा करै, कि वयों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने देते अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 20.03.2020, दो उपस्थापित करै।</p> <p style="text-align: right;">(B) ३/२२ ०४ अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

06.03.2020
26.03.2015

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

6/3/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

पाद अग्निलेख संख्या - २१२/१७ - २०२०/२०२० (अन्तर्गत पारा-४(h)BLR Act, 1950)

सूचना

पनाम कोड़ा माटो
पिंडा

स्त्री किंग गोदावारी

एतद पारा आपको सूचित किया जाता है कि गौजा - कोरड़ा थाना नं -
३५ खाता नं - २। ऐसरा नं - -स्वक्षा - - - - - रो संवंधित आपके नाम से हो नं - १ के पंजी II भाग - - -
के पृष्ठ ११२ पर दर्ज जगावंदी प्रथम दृष्ट्या राजरव कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
से जॉबोपरान्त रांदिग्ध प्रतिवेदित किया है।अतएव आप उक्त संवंध में दिनांक २०.०३.२०२० को समय - ११.०० बजे पूर्वाहन
में उक्त भूमि का रिटर्न - I भूमि वंचोवस्ती रो संवंधित हुक्मनामा, भूतपूर्व जर्मीदार द्वारा निर्गत
जर्मीदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जर्मीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजरव
रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य छोरा राक्ष्यों की गूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहरताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
पक्ष प्रस्तुत करें।रानद रहे कि अन्यथा कि रिथति में रागड़ा जायेगा कि उक्त संवंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जगावंदी के संवंध में युवित - युक्त निर्गत लेते हुए विधिराम्भ अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

०६३/२०
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :-

स्थान :-